

मीराम - चिंजीलाल 14/2017

दिनांक

आज्ञा पत्र

18-6-18

कार-कार काकाज दिनांक 18/6/18
 कर्पोलोट एवं कर्पोलोट के वकील
 कोर्ट हाजिर होवे। कर्तः
 कर्दम एवम् एवम् एवम् पैरकी
 साबित होवे। कर्पोलोट वकील
 को जाती है। कर्पोलोट वकील
 तरतीस तकमिल दायर दायर
 हो। निर्णय सुनाया गया।



अधिवक्ता अधिकारी एवं
 जिला जजपील अधिकारी
 सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

